

कार्यालय, मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
पत्रांक- 2691 / 11-सी-FP/UP/Road/20685/2016, लखनऊ, दिनांक: जून 20, 2017

सेवा में,

प्रमुख सचिव (वन),
उ०प्र० शासन,
वन एवं वन्य जीव, अनुभाग-2,
लखनऊ।

विषय:- जनपद-कौशाम्बी के अन्तर्गत पुरानी जी०टी० रोड का आन्तरिक भाग के किमी० 161.800 से किमी० 180.00 (कोखराज से मनौरी तक) चार लेन के चौड़ीकरण निर्माण में बाधक 1753 वृक्षों के पातन की अनुमति एवं क्षेत्रफल 17.626 है० संरक्षित वनभूमि हस्तान्तरण के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:- भारत सरकार का पत्रांक-8बी/यूपी०/०६/108/2016/एफ०सी०/69, दिनांक- 01.06.2017

महोदय,

भारत सरकार के उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के माध्यम से विषयांकित प्रकरण में वांछित सूचना एवं अभिलेख वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, सा०वा० वृत्त, इलाहाबाद ने अपने पत्रांक-4329/15-1, दिनांक 01.06.2017 द्वारा इस कार्यालय को प्रेषित किया है। अतः उक्त पत्र की छायाप्रति सहित सूचना/अभिलेख दो मूल प्रतियों में संलग्न कर इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि कृपया एक मूल प्रति भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, (मध्य क्षेत्र) अलीगंज, लखनऊ को संदर्भित करने की कृपा करें।

संलग्नक:- यथोक्त।

भवदीय

(वाई०एस०के० शेषकुमार)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ०प्र०, लखनऊ।

पत्रांक:- / 11-सी-FP/UP/Road/20685/2016, दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, सा०वा० वृत्त, इलाहाबाद।
- 2- प्रभागीय निदेशक, सा०वा० प्रभाग, कौशाम्बी।
- 3- अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि० कौशाम्बी।

(वाई०एस०के० शेषकुमार)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ०प्र०, लखनऊ।